न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/99

1. मोहन लाल पुत्र श्री देवा जाति कुमावत आयु 56 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. राधेश्याम आत्मज श्री देवा जाति कुमावत आयु 39 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मुकुट आत्मज श्री देवा जाति कुमावत आयु 26 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
4. श्रीमती धनकंवर पुत्री श्री देवा जाति कुमावत आयु 44 वर्ष निवासी बोरखेडा कोटा ।
5. श्रीमती मंजू पुत्री श्री देवा जाति कुमावत आयु 32 वर्ष निवासी कनवास जिला कोटा ।
6. महावीर पुत्र श्री सेवा जी जाति कुमावत आयु 35 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
7. श्रीमती पार्वती पुत्री श्री सेवा जाति कुमावत आयु 33 वर्ष निवासी कालाभाटा तहसील व जिला बून्दी ।
8. नाथी बाई बेवा श्री सेवा जी जाति कुमावत आयु 74 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलक्टर, बून्दी ।
2. श्रीमती गोप कुमारी पत्नी श्री रामनारायण राठोर आयु 64 वर्ष निवासी रतनबुर्ज बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. श्री रामनारायण पुत्र श्री गोपीलाल जाति तेली राठोर आयु 69 वर्ष निवासी रतनबुर्ज तहसील व जिला बून्दी ।
4. श्री तरूण पुत्र श्री रामनारायण जाति तेली आयु 49 वर्ष निवासी रतनबुर्ज बून्दी ।
5. विक्रम पुत्र श्री रामनारायण जाति तेली आयु 46 वर्ष निवासी रतनबुर्ज बून्दी ।
6. श्रीमती नन्दसिंह पत्नी श्री अरविन्द सिंह चौहान राजपूत वयस्क निवासी 03 – ख महावीर अपार्टमेन्ट अम्बावाडी जयुपर पार्टनर मैसर्स श्री बल्लनन्दा एसोसिएट 7–8 हनुमान विला झोटवाडा रोड खातीपुरा जयपुर ।
7. राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप जी शर्मा जाति ब्राह्मण वयस्क निवासी दीनबन्धु कॉलोनी छत्रपुरा बून्दी पार्टनर मैसर्स श्री बल्लनन्दा एसोसिएट 7–8 हनुमान विला झोटवाडा रोड खातीपुरा जयपुर ।
8. दयाराम पुत्र श्री देवा जाति कुमावत आयु 30 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
9. महावीर पुत्र श्री नेमी चन्द जाति कुमावत आयु 33 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी ।
10. बजरंगी पुत्री श्री नेमी चन्द जाति कुमावत आयु 33 वर्ष निवासी छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

11. कंचन पुत्री श्री नेमीचन्द पत्नी श्री छोटूलाल कुमावत वयस्क निवासी बडानयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
12. महेश कुमार पुत्र श्री गोरधन जाति कुमावत आयु 42 वर्ष निवासी नयापुरा बस स्टेण्ड के उपर कोटा ।
13. श्रीमती बिरधी बाई बेवा श्री गोरधन जाति कुमावत आुय 79 वर्ष निवासी नयापुरा बस स्टेण्ड के उपर कोटा ।
14. श्रीमती इन्द्रा पत्नी स्व0 कालू वयस्क जाति कुमावत निवासी छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
15. श्रामू पुत्र श्री स्व0 कालू वयस्क जाति कुमावत निवासी ग्राम छत्रपुरा तहसील एवं जिला बून्दी ।
16. श्रीमती रिंकू पुत्री स्व0 कालू पत्नी बंटी वयस्क जाति कुमावत निवासी उन्दालिया की डूंगरी बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री मदन लाल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सोहन लाल जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री जगदीश गोस्वामी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 से 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 21.10.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट कम 1 लगायत 05 एवं 07 लगायत 09 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 183 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 13 बिस्वा गै0मु0 चाह के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त भूमि में जमाबन्दी के अनुसार खाना नम्बर 04 में गोरधन वल्द रामनारायण हिस्सा 1/2 मैसर्स बल्लभनन्दा एसोसिएट 7, 8 हनुमान विला झोटवाडा, जयपुर जरिये पार्टनर श्रीमती नन्दसिंह पत्नी अरविन्द सिंह चौहान व राजेन्द्र कुमार शर्मा हिस्सा 2/6 खातेदार व मुस0 मांगी दुख्तर नाथू हिस्सा 1/6 खातेदार अंकित हो रहा है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी कम 1 से 9 तक भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 13 बिस्वा के 1/2 भाग के सम्मिलित रूप से खातेदार स्वामी हैं और इसी प्रकार समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज भी किया जावे । प्रतिवादी कम 2 से 7 ने उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर दीवारें खींच कर इस भूमि को अपनी भूमि के साथ मिला लिया है उससे इन्हें बेदखल कर मौके पर पैमाईश करवाकर अतिक्रमण

दिलाया जावे । वादी कम 01 से 09 को प्रतिवादी कम 2 से 7 से अतिकमण काल के हर्जाने स्वरूप प्रतिवर्ष के लिए 2000/– रूपये सालाना से राशि जब तक अतिकमण नहीं हटा लिया जावे दिलाया जावे ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 09 से 11 ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 13.11.2017 को एक प्रार्थना पत्र दावा अबेट किये जाने बाबत् पेश कर कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी कम 06 कालूलाल पुत्र सेवा का दिनांक 26.04.2016 को निधन हो गया है और प्रतिवोदी कम 12 नेमीचन्द पुत्र नन्दा का भी दिनांक 31.12.2016 को निधन हो चुका है । निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी वादीगण द्वारा उक्त दोनों मृतकों के कायममुकामान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । कानून के अनुसार उक्त दावा अबेट हो गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा अबेट किया जावे ।

5. दिनांक 30.11.2017 को अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 09 सीपीसी सपठित धारा 05 मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि वादी कम 06 कालू का देहान्त हो गया है । कानून की अनभिज्ञता के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब हो गया है उनके कायममुकमान को रिकॉर्ड पर लिया जावे कालू के विरूद्ध दावा अबेट की कार्यवाही को निरस्त फरमाया जावे । एक अन्य प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा वास्ते नाम डिलीट किये जाने पेश किया और कथन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी कम 12 नैमीचन्द का देहान्त दिनांक 31.12.2016 को हो गया है । नेमी चन्द की मृत्यु के उपरान्त भी उसके विधिक वारिसान के विरूद्ध वाद कारण शेष रहता है । प्रतिवादी कम 12 के वारिसान पूर्व में ही इस प्रकरण में प्रतिवादी कम 09, 10 एवं 11 हैं। अतः प्रतिवादी कम 12 नेमी चन्द का नाम डिलीट किया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.02.2019 के द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् वाद अबेट को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 18.02.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने कानून की अनभिज्ञता के कारण अपने वकील साहब को यह नहीं बताया कि वादी कम 06 कालू एवं प्रतिवादी नेमी चन्द का निधन हो गया है । इस तथ्य की जानकारी होने पर अपीलान्ट ने आदेश 22 नियम 3, 4 व धारा 151 सीपीसी एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सीपीसी सपठित धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के अधीन प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था । अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जो कानून से अनभिज्ञ हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावे के लम्बित रहने के दौरान वादी कम 06 कालू का दिनांक 26.04.2016 को और प्रतिवादी कम 12 नेमीचन्द की दिनांक 31.12.2016 को मृत्यु हो गयी थी । कानून की अनभिज्ञता के कारण वकील साहब को यह नहीं बता पाये कि

कालू लाल एवं नेमी चन्द का निधन हो चुका है । बाद में इस तथ्य का ज्ञान होने पर अपीलान्ट की ओर से आदेश 22 नियम 3, 4 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र एवं आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश किया और इसी दौरान प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि वादी कम 06 कालू एवं प्रतिवोदी कम 12 नेमीचन्द के निधन के बावजूद समय पर मृत्यु की सूचना न्यायालय को नहीं दी गई है । अतः दावा अबेट किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय से दावे को अबेट किया है । दावे को सक्रिय रूप से मोहन लाल वादी देख रहे हैं और कानून की अनभिज्ञता के कारण वो अपने वकील साहब को बता नहीं पाये थे । वादी मृतक कालू के भाई हैं और वाद को चलाने में समर्थ हैं । नेमी चन्द के वारिस बजरंगी, कंचन पुत्रियॉ और महावीर पुत्र मौजूद हैं । नेमी चन्द के हितों की रक्षार्थ विलम्ब को क्षम्य करते हुए उनके कायममुकामान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2010 (3) पेज 2198, आरआरडी 1993 पेज 42, एआईआर (एससी) 1985 पेज 606 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट कालू की मृत्यु दिनांक 26.04.2016 को हुई थी और प्रतिवादी नेमीचन्द की मृत्यु दिनांक 31.12.2016 को हुई थी । वादी के द्वारा समय पर कायममुकामान बनाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया इसलिए दावे को अबेट करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर दावे को अबेट किया है । अपीलान्ट ने अबेट कार्यवाही को निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किया था और विलम्ब को माफ करने का कोई समुचित आधार नहीं बताया । वादी की मृत्यु की सूचना देने का दायित्व वादी पर ही था जिस व्यक्ति के सम्बन्ध में वाद को अबेट किया गया है । उनके विधिक वारिस ने अबेटमेंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावे को अबेट किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2017 को प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश किया है और उसमें यह कथन किया गया है कि वादी कालू की मृत्यु दिनांक 26.042016 को हुई । एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 30.11.2017 को पेश किया है जिसमें यह कथन किया गया है कि नेमी चन्द की दिनांक 31.12.2016 को मृत्यु हुई थी उसके कायममुकामान पहले से ही प्रतिवादी कम 09, 10 व 11 पक्षकार हैं । अतः नेमी चन्द का नाम डिलीट किया जावे ।

12. एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2017 को प्रतिवोदी कम 09 से 11 की ओर से पेश किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि वादी संख्या 06 कालू की मृत्यु दिनांक 26.04.2016 को हुई है और नेमी चन्द की दिनांक 31.12.2016 को हुई थी । मृतक के कायममुकामान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण दावे को अबेट किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावे को अबेट किया है । पक्षकारान ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जो कानून से अनभिज्ञ रहते हैं ऐसी स्थिति में नरम रूख अपनाते हुए हम इस प्रकरण में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर मृतक कालू के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने और मृतक

नेमी चन्द का नाम डिलीट किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर आरएलडब्ल्यू 2010 (3) पेज 2198, आरआरडी 1993 पेज 42, एआईआर (एससी) 1985 पेज 606 यहॉ चस्पा होती हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2019 निरस्त किया जाता है । वादी कम 06 मृतक कालू के वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश पारित किया जाता है । इसी प्रकार प्रतिवादी कम 12 नेमीचन्द का नाम डिलीट करने के आदेश दिये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत वाद में सीपीसी की पालना करते हुए प्रतिवोदीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.12.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/10/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा